न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 40/2015

1. श्रीधर शर्मा पुत्र श्री मेघराज, जाति ब्राह्मण निवासी बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 (मृतक)

1/1 सूरज देवी पत्नि स्व0 श्री श्रीधर जाति ब्राह्मण निवासिन बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

1/2 घनश्याम शर्मा पुत्र स्व0 श्री श्रीधर जाति ब्राह्मण निवासिन बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

1/3 रामरतन पुत्र स्व0 श्री श्रीधर जाति ब्राह्मण निवासिन बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

1/4 किरण पुत्री स्व0 श्री श्रीधर जाति ब्राह्मण निवासिन बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

1/5 राजेन्द्र पुत्र स्व0 श्री श्रीधर जाति ब्राह्मण निवासिन बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

1/6 नन्दकिशोर पुत्र स्व0 श्री श्रीधर जाति ब्राह्मण निवासिन बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

1/7 विष्णु पुत्र स्व0 श्री श्रीधर जाति ब्राह्मण निवासिन बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

1/8 मुकेश पुत्र स्व0 श्री श्रीधर जाति ब्राह्मण निवासिन बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. भौमाराम पुत्र छगना
2. लाडा देवी पत्नि स्व0 श्री रामलाल
3. विश्राम पुत्र स्व0 श्री रामलाल
4. श्योराम पुत्र स्व0 श्री रामलाल
5. रामेश्वर पुत्र हरजी
6. नारायण पुत्र हरजी
7. मुस्मात धापू पत्नि स्व0 श्री हरजी
8. शान्ति देवी पत्नि रामधन
9. दिनेश पुत्र रामधन

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Choudhary
Date: 2024.06.24 19:51:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

अव्यस्क आनन्द पुत्री श्री रामधन जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती शान्ति देवी पत्नि स्व0 श्री रामधन

सर्व जाति जाट सर्व निवासी बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

11. तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांकः 20/06/2024

उपस्थितः श्री इन्द्रेश कुमार — प्रार्थीगण अभिभाषक

अप्रार्थी सं0 6 अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जरिये वकील श्री इन्द्रेश कुमार के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 212 के विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम बान्दरसिन्दरी स्थित कृषि भूमि ख0नं0 547/1 रकबा 02–09–14 भूमि प्रार्थी की एकल खातेदारी भूमि है, जिसकी राजस्व ट्रेस में तरमीम है तथा उपरोक्त भूमि में प्रार्थी का कमरा बना हुआ है। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि के पूर्व दिशा में ख0नं0 547/2 गै0मु0 रास्ते की भूमि है जिस पर ग्रेवल रोड़ बनी हुई है। अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य होकर उन्होने नाजायज गुट बनाकर प्रार्थी की आयु अधिकता की स्थिति को देखते हुए प्रार्थी को उसके अधिकार, खातेदारी की भूमि से बलात् बेदखल करने का प्रयास करते हुये प्रार्थी की भूमि में अवैध, अनाधिकृत रूप से निर्माण करने में उद्दत हो रहे है। अप्रार्थीगण को प्रार्थी के अधिकार, खातेदारी, कब्जे, काश्त की भूमि में किसी प्रकार से निर्माण करने का या प्रार्थी के काश्त कार्यो में व्यवधान करने के साथ–साथ प्रार्थी को बलात् बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण दिनांक 23.04.2015 को एक राय होकर प्रार्थी के उपरोक्त प्रार्थना पत्र पैरा सं0 1 में वर्णित भूमि के उत्तर–पूर्व सिरें पर जबरन खुदाई कर अवैध, अनाधिकृत निर्माण कार्य करने में उद्दत हुए, जिसका प्रार्थी द्वारा प्रतिरोध किये जाने पर अप्रार्थीगण अवैध, अनाधिकृत कृत्य में सफल नहीं हो पाये। किन्तु अप्रार्थीगण ने प्रार्थी [illegible] दी है कि वह कभी भी मौका पाकर प्रार्थी के अधिकार, खातेदारी की उपरो[illegible] ख0नं0 547/1 पर अवैध, अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर उस पर अविधिक रूप से दुकानो का निर्माण

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Choudhary
Date: 2024.06.24 19:51:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

करवायेंगे। प्रथम दृष्टया पक्ष, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण/उनके परिवारजन/हितबद्ध प्रतिनिधि/असाईनिस को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाद गुणाणुगुण निस्तारण तक प्रार्थी के अधिकार, खातेदारी की तरमीमशुदा ग्राम बान्दरसिन्दरी स्थित कृषि भूमि ख0नं0 547/1 रकबा 02—09—14 जिसके पूर्व दिशा में ख0नं0 547/2 ग्रेवल रोड़ है के बाबत् अप्रार्थीगण प्रार्थी को उसके अधिकार, खातेदारी की भूमि में प्रार्थी के काश्त कार्यो में बाधा नहीं करे, प्रार्थी को बलात् बेदखल नहीं करे।

3. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिंस जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 6 की ओर से वकील श्री सम्पत सिंह बारेठ द्वारा वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी सं0 1 से 4 व 10 के बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा अप्रार्थी सं0 5, 7, 8, 9 व 11 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर उनका जवाब का अवसर बन्द किया गया।

3.1 वकील अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 6 का प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 1 में कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है, किन्तु अप्रार्थी सं0 6 ख0नं0 548/1/2 (548/2) का सहखातेदार काश्तकार है। ख0नं0 548/2 के अप्रार्थी सं0 5, 6, 7, 8, 9 व 10 सहखातेदार काबिज काश्तकार है। अप्रार्थी सं0 6 के सहखातेदारी की भूमि के पश्चात् पूर्वी दिशा में ख0नं0 548/1/1 की भूमि है तत्पश्चात् ख0नं0 547 की भूमि है। प्रार्थी की भूमि तथा अप्रार्थी सं0 6 के कब्जेकाश्त की भूमि के बीच में अप्रार्थी सं0 1 से 4 की भूमि स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 6 से 10 के सहखातेदारी की भूमि की सीमाएं आपस में लगती हुई नहीं है, दोनो भूमियों के बीच में अप्रार्थी सं0 1 से 4 की भूमि है। रास्ते के लगते हुए ही पूर्व दिशा में पेट्रोल पम्प की चार दीवारी स्थित है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि अप्रार्थी सं0 6 ने अन्य अप्रार्थीगण से मिलकर प्रार्थी को बलात् बेदखल करने का प्रयास किया हो। अप्रार्थी सं0 6 के द्वारा प्रार्थी के किसी निर्माण कार्य या काश्त कार्य में कोई व्यवधान ना तो किया गया है ना ही किसी प्रकार से कोई बेदखल किया गया है। दिनांक 23.04.2015 को किसी प्रकार का वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तीनों ही बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 6 से 10 सहखातेदारी की भूमि की सीमाएं आपस में लगती हुई नहीं है, दोनो भूमियों के बीच अप्रार्थी सं0 1 से 4 की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Choudhary
Date: 2024.06.24 19:51:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

है। प्रार्थी की भूमि उत्तरदाता की भूमि के लगती हुई नहीं है तो प्रार्थी को बेदखल करने का या प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण कब्जा करने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से अप्रार्थी के खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि पर कब्जा करने की मंशा रखता है। इस कारण यह अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज होने योग्य है। अतः जवाबकर्ता द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी सं0 6 सव्यय खारिज करने का निवेदन किया।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की एकल खातेदारी भूमि है, जिसकी राजस्व ट्रेस में तरमीम है तथा उपरोक्त भूमि में प्रार्थी का कमरा बना हुआ है। अप्रार्थीगण को प्रार्थी के अधिकार, खातेदारी, कब्जे, काश्त की भूमि में किसी प्रकार से निर्माण करने का या प्रार्थी के काश्त कार्यो में व्यवधान करने के साथ–साथ प्रार्थी को बलात् बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं है। किन्तु अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को धमकी दी है कि वह कभी भी मौका पाकर प्रार्थी के अधिकार, खातेदारी की भूमि पर अवैध, अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर उस पर अविधिक रूप से दुकानो का निर्माण करवायेंगे। अतः प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण/उनके परिवारजन/हितबद्ध प्रतिनिधि/असाईनिस को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाद गुणाणुगुण निस्तारण तक प्रार्थी के अधिकार, खातेदारी की तरमीमशुदा ग्राम बान्दरसिन्दरी स्थित कृषि भूमि ख0नं0 547/1 रकबा 02–09–14 जिसके पूर्व दिशा में ख0नं0 547/2 ग्रेवल रोड़ है के बाबत् अप्रार्थीगण प्रार्थी को उसके अधिकार, खातेदारी की भूमि में प्रार्थी के काश्त कार्यो में बाधा नहीं करे, प्रार्थी को बलात् बेदखल नहीं करे।

4.2 वकील अप्रार्थी सं0 6 द्वारा अपनी बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 6 के द्वारा प्रार्थी के किसी निर्माण कार्य या काश्त कार्य में कोई व्यवधान ना तो किया गया है ना ही किसी प्रकार से कोई बेदखल किया गया है। दिनांक 23.04.2015 को किसी प्रकार का वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तीनों ही बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 6 से 10 के खातेदारी की भूमि की सीमाएं आपस में लगती नहीं है, दोनो भूमियों के बीच में अप्रार्थी सं0 1 से 4 की भूमि है। प्रार्थी की भूमि अप्रार्थी सं0 6 की भूमि के लगती हुई नहीं है तो प्रार्थी को बेदखल करने का या प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण कब्जा करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Choudhary
Date: 2024.06.24 19:51:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से अप्रार्थी के खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि पर कब्जा करने की मंशा रखता है। इस कारण यह अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज होने योग्य है। अतः वकील अप्रार्थी सं0 6 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज करने का निवेदन किया।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम बान्दरसिन्दरी पटवार क्षेत्र बान्दरसिन्दरी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बान्दरसिन्दरी सम्वत् 2068–2071 के अनुसार वादग्रस्त भूमि ख0नं0 547/1 रकबा 02–09–14 भूमि प्रार्थी की एकल खातेदारी भूमि है, जिसकी राजस्व ट्रेस में तरमीम है प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र व बहस के दौरान उठाये गये कथनो/तथ्यों की वास्तविकता के संबंध में मूल वाद में साक्ष्य के आधार पर गुणागुण परिक्षण कर निर्णय पारित किया जावेगा।

वर्तमान परिपेक्ष्य में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् प्रस्तुत बहस पर मनन पश्चात् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ख0नं0 547/1 रकबा 02–09–14 भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु एवं प्रार्थी के कृषकिय कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने, प्रार्थी को मौके से बेदखल नहीं करने व उपयोग उपभोग में बाधा/मजाहमत उत्पन्न नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण सं0 1 को मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(अर्चना चौधरी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Choudhary
Date: 2024.06.24 19:51:52 IST
Reason: SelfAttested